Volume: 2 Issue: 7 Pages: 40-42

# ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु बाहर नहीं भेजने के कारणों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

**[*1] जाकिर हुसैन अब्बासी**

[*1] सहायक आचार्य (समाजशास्त्र), श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा, राजस्थान, भारत

**Article Info.**
**E-ISSN: 2583-6528**
**Impact Facter (SJIF): 5.231**
**Available online:**
**www.alladvancejournal.com**

**Received:** 05/June/2023
**Accepted:** 10/july/2023

***Corresponding Author**
**जाकिर हुसैन अब्बासी**
सहायक आचार्य (समाजशास्त्र), श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा, राजस्थान, भारत

## सारांश

भारत एक पुरुष प्रधान देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी महिलाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। इन्हें वे अधिकार एवं स्वतंत्रता आज भी प्राप्त नहीं है जिसकी वे अधिकारिणी है। बालक को हर क्षेत्र में बालिका पर वरीयता दी जाती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए भी बालिका के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है और ऐसा व्यवहार न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो परिवार व समाज की नकारात्मक मानसिकता के चलते बालिकाओं को शिक्षा दी ही नहीं जाती अगर दी भी जाती है तो कुछ कक्षाओं के बाद शिक्षा मध्य में ही बंद करवा दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ संख्या में जो बालिकाएं माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो भी जाती हैं, उन्हें इसी नकारात्मक मानसिकता के चलते उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु घर से बाहर नहीं भेजा जाता। इसके लिए धन का अभाव, बालक-बालिका में भेदभाव, विपरीत घरेलू परिस्थितियां, बालिकाओं की सुरक्षा की चिंता, परिवार व समाज का असहयोग जैसे कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

**मुख्य शब्द:** दोयम दर्जा, संयुक्त परिवार, रूढ़िवादी विचार, मौलिक अधिकार, ड्रॉपआउट, पितृसत्तात्मक परिवार, नकारात्मक मानसिकता।

## परिचय

शिक्षा सशक्तिकरण का एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को सशक्त बनाने के साथ-साथ उचित व अनुचित में भेद करना सिखाती है। भारत में परिवार का पितृसत्तात्मक स्वरूप होने के कारण परिवार में पिता की सत्ता का पालन परिवार के अन्य सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी महिलाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। इन्हें वे अधिकार व स्वतंत्रता आज भी प्राप्त नहीं है जिसकी ये अधिकारिणी हैं। अनेक क्षेत्रों में आज महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी क्षमता प्रदर्शित की है, बावजूद इसके इन्हें जितना सम्मान मिलना चाहिए था, उतना सम्मान नहीं मिला है। महिलाओं को नहीं मिलने वाले अधिकार सम्मान व स्वतंत्रता के पीछे कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी है। इन सभी कारणों का केंद्र शिक्षा का निम्न स्तर है।

शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए संविधान निर्माताओं ने शिक्षा के अधिकार को संविधान में स्थान दिया लेकिन शिक्षा के अधिकार को मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्त्वों में शामिल किया गया परन्तु समय व परिस्थिति को भांपते हुए सन् 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद-21 (क) में जोड़ा। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक-बालिका को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है, साथ ही इसी संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद-51 (क) में धारा-ट जोड़कर माता-पिता एवं संरक्षक का यह कर्त्तव्य सुनिश्चित किया गया है कि वे 6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं।

न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी बालक को बालिका पर वरीयता दी जाती है और ऐसा जीवन के हर क्षेत्र में किया जाता है। चाहे वह खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा का, पोषण का क्षेत्र हो या घरेलू कार्यों का। परिवार के सदस्यों द्वारा बचपन से ही बालक-बालिकाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उन्हें बालक या बालिका होने का अनुभव होता है। बालक को अपने हम उम्र के बालकों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर जाने पर कोई मनाही नहीं होती जबकि बालिका को घर की चारदीवारी में ही खेलने पर मजबूर किया जाता है।

भारत में अपवाद स्वरूप कुछ जनजातीय समाजों जैसे – नायर, गारो, खासी आदि को छोड़कर परिवार का पितृसत्तात्मक स्वरूप देखने को मिलता है। परिवार का पितृसत्तात्मक स्वरूप न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। बालिका शिक्षा के संबंध में पुरुषों की मानसिकता यही है कि बालिकाओं को केवल इतना ही शिक्षित किया जाना चाहिए कि वह अपने रोजमर्रा के कार्य पूर्ण कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में तो परिवार के अन्य सदस्यों की

भी यही मानसिकता है कि बालिका को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था घर के आसपास ही होनी चाहिए । अगर शिक्षण संस्था घर से दूरी पर है तो वे बालिकाओं को शिक्षा ही नहीं दिलवाते, खासकर उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु घर से बाहर भेजने के तो वे बिल्कुल भी पक्ष में नहीं होते है पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार व समाज की बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक मानसिकता के चलते बालिका का विद्यालय में नामांकन ही नहीं कराया जाता और जब नामांकन कराया जाता है तो बालिका की उम्र अधिक हो जाती है । इस कारण प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करते-करते बालिका की उम्र 15 से 16 वर्ष हो जाती है इसलिए आगे की शिक्षा दिलवाने के बजाय माता-पिता बालिका का विवाह करना ज्यादा जरूरी समझते हैं । परिवार के समाज की इसी नकारात्मक मानसिकता के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को उचित शिक्षा की प्राप्ति हेतु घर से बाहर नहीं भेजा जाता । इसके अतिरिक्त और भी कारण है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं । उनमें से प्रमुख कारण इस प्रकार है

## धन का अभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है । ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं । धन के अभाव के कारण ये परिवार अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं । इसी गरीबी के चलते ये जैसे-तैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे - निःशुल्क पाठ्य पुस्तक छात्रवृत्ति आदि का लाभ उठाकर अपने बच्चों को माध्यमिक स्तर तक तो शिक्षा दिलवा देते हैं लेकिन उच्च शिक्षण संस्थाओं के शहरों में अवस्थित होने के कारण धन के अभाव में ये बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहरों में नहीं भेज पाते हैं । गरीबी के कारण ग्रामीण कर्ज लेकर बालकों को तो उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु शहर भेज देते हैं परन्तु बालिकाओं को नहीं भेजते ।

## परिवार व समाज के रूढ़िवादी विचार

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी संयुक्त परिवार अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और इन परिवारों में परंपराओं एवं रूढ़ियों का बोलबाला है । बालिका शिक्षा को लेकर ग्रामीणों की मानसिकता नकारात्मक है । बालिका के संबंध में परिवार व समाज के सदस्य चाहते ही नहीं कि बालिका शिक्षा ग्रहण करें । इनके अनुसार बालिका को पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है । जब उसे आगे चलकर अपनी गृहस्थी ही संभालनी है तो बालिका को घर चलाने और गृहस्थी संभालने की शिक्षा ही दी जानी चाहिए और बालिका यह शिक्षा अपने घर की महिला सदस्यों से ले सकती है । जब ये लोग बालिकाओं को शिक्षा दिए जाने के पक्ष में ही नहीं है तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु बाहर भेजने के पक्ष में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते । अतः परिवार व समाज के रूढ़िवादी विचार बालिका के उच्च शिक्षा हेतु बाहर जाने के मार्ग में बाधा है ।

## बढ़ते अपराधों से असुरक्षित बालिकाएं

आज के समय में जितना हम तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उतना ही मानवीय गुण खोते जा रहे हैं । अपराधों में नए-नए तरीकों एवं तकनीकी काम में ली जाती है । ग्रामीण भी आज बालिका शिक्षा के महत्त्व को समझने लगे हैं । ये उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओं को शहर भी भेजना चाहते हैं परन्तु बढ़ते अपराधों एवं बालिकाओं की सुरक्षा की चिंता के कारण ये उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बाहर भेजने की बजाय स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में इनका नामांकन करवाते हैं । एक ओर ग्रामीण अपराधों के कारण बदलते परिवेश में उच्च शिक्षा हेतु अपनी बालिकाओं को बाहर नहीं भेज पाते, वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को भी इस कारण नियमित विद्यार्थी के रूप में उच्च शिक्षा के लिए अपना मन मारना पड़ता है ।

## उच्च शिक्षण संस्थाओं का शहरों में अवस्थित होना

उच्च शिक्षण संस्थाएं गांवों की बजाय शहरों या कस्बों में अवस्थित होती है । ग्रामीण क्षेत्रों से इनके दूरी पर होने के कारण बालिकाओं का इनके माता-पिता द्वारा इनमें नामांकन ही नहीं करवाया जाता । गांव से इन संस्थानों के दूरी पर होने के कारण पहले तो माता-पिता बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाना ही नहीं चाहते लेकिन जो अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, उन्हें बालिकाओं को शहर में ही कमरा दिलवाना होता है परन्तु धन के अभाव तथा बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर माता-पिता चिंतित रहते हैं । इसलिए बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बाहर भेजने के बजाय घर पर ही रखना उचित समझते हैं ।

## बालिका शिक्षा के प्रति ग्रामीणों की नकारात्मक मानसिकता

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के प्रति ग्रामीणों की नकारात्मक मानसिकता भी बालिकाओं के उच्च शिक्षा हेतु बाहर जाने के मार्ग में अवरोधन का कार्य करती है । ग्रामीणों का मानना है कि बालिका को पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है । इसे आगे चलकर अपना घर ही संभालना है । ये बालिकाओं को शिक्षा दिए जाने के पक्ष में भी नहीं है तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बाहर भेजने के तो पक्षधर बिल्कुल नहीं है । इनका मानना है कि बालिकाओं को केवल उतनी ही शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह अपने रोजमर्रा के कार्य पूर्ण कर सके ।

## परिवार द्वारा बालक-बालिका में भेदभाव करना

परिवार द्वारा बालक-बालिका में भेदभाव करना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी विद्यमान है । यह भेदभाव प्राचीन काल से ही होता आ रहा है । आज स्थिति में थोड़ा सुधार अवश्य हुआ है । एक ओर बालक को निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा दिलवाई जाती है वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्ति हेतु भेजा जाता है । इसी प्रकार परिवार द्वारा बालक को उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु खुशी-खुशी शहर भेज दिया जाता है परन्तु जब बालिका का उच्च शिक्षा हेतु शहर जाने का नंबर आता है तो माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बहाने बनाकर उसे उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु शहर नहीं भेजा जाता । इस प्रकार उच्च शिक्षा की प्राप्ति को लेकर माता-पिता व परिवार के सदस्यों द्वारा बालिका के साथ भेदभाव किया जाता है ।

## यातायात के साधनों की कमी या अभाव

उच्च शिक्षण संस्थाओं के शहरों या कस्बों में अवस्थित होने के कारण समय पर यातायात के साधनों की उपलब्धता नहीं होने की वजह से भी बालिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बाहर नहीं जा पाती । उन्हें शिक्षण संस्थाओं तक समय पर पहुंचने के लिए यातायात के साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए । आज भी कुछ गांव ऐसी जगह अवस्थित है जहां से शहर तक पहुंचने के लिए दो-तीन जगह साधन बदलने होते हैं । इस कारण ग्रामीण बालिकाओं को घर से शिक्षण संस्थाओं तक तथा शिक्षण संस्थाओं से घर तक पहुंचने में देरी हो जाती है । घर पहुंचने में देरी होने पर माता-पिता व परिवार के अन्य लोग चिंतित हो जाते हैं । इसलिए वे अपनी चिन्ता से मुक्ति पाने के लिए बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु घर से बाहर ही नहीं भेजते ।

## विपरीत घरेलू परिस्थितियां

ग्रामीण क्षेत्रों में विपरीत घरेलू परिस्थितियां भी बालिका के उच्च शिक्षा हेतु बाहर जाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं । इन विपरीत घरेलू परिस्थितियों में धन का अभाव, परिवार की आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के कारण माता-पिता के मजदूरी हेतु दिनभर घर से बाहर रहने की वजह से छोटे भाई-बहनों व घर के देखभाल की जिम्मेदारी बालिका पर आना, कृषि कार्यों में माता-पिता का हाथ बंटाना आदि ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से माता-पिता चाहते हुए भी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर नहीं भेज पाते ।

## बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याएं

बालिका की व्यक्तिगत समस्याएं न केवल बालिका के उच्च शिक्षा के मार्ग में

बल्कि उसकी प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में भी बाधक हैं। जब बालिका प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाएगी तो उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त करेगी। व्यक्तिगत समस्याओं वाली जो बालिकाएं मुश्किल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो भी जाती हैं, उन्हें परिवार के सदस्य इनकी व्यक्तिगत समस्याओं के चलते उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बाहर नहीं भेजते। उच्च शिक्षा के मार्ग में बाधक बालिका की व्यक्तिगत समस्याओं में विकलांगता, सीखने की समस्या, पढ़ाई में मन नहीं लगना, स्वास्थ्य का ठीक न रहना, भावनात्मक विकार मानसिक विकास का रूक जाना आदि प्रमुख है। जब लोग स्वस्थ बालिका को ही उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बाहर नहीं भेजते हैं तो इन समस्याओं से ग्रसित बालिकाओं को कैसे भेज सकते हैं ? इस प्रकार बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याएं भी उच्च शिक्षा हेतु उनके बाहर जाने के मार्ग में बाधक हैं।

## उच्च शिक्षा में महिला शिक्षिकाओं की कमी या अभाव

बढ़ते अपराधों के कारण बालिका की सुरक्षा को ध्यान में रखकर माता-पिता बालिकाओं को उच्च शिक्षा के बालिका महाविद्यालयों या ऐसे उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं जिनमें महिला शिक्षिकाओं की संख्या पर्याप्त हो लेकिन उच्च शिक्षण संस्थाओं में महिला शिक्षिकाओं की कमी है। इनकी कमी की वजह से भी ग्रामीणों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु बाहर नहीं भेजते।

## माता-पिता का अशिक्षित होना

माता-पिता के अशिक्षित होने का सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है क्योंकि अशिक्षित माता-पिता शिक्षा के महत्त्व को नहीं जानते। इसलिए वे अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु विद्यालय नहीं भेजते। खासकर बालिकाओं को तो विद्यालय में या तो भेजा ही नहीं जाता या फिर अधिक उम्र में भेजा जाता है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के बाद बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बाहर नहीं भेजने के लिए माता-पिता का अशिक्षित होना भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है।

उपर्युक्त संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को ग्रामीणों द्वारा उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु घर से बाहर नहीं भेजने के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। जब इन कारणों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी कारणों के मूल में परिवार व पारिवारिक समस्याएं सामने आई। इसके लिए चाहे परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति हो या रूढ़िवादी विचार, बालक-बालिका में भेदभाव हो या बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक मानसिकता इन सब के लिए परिवार जिम्मेदार है। एक ओर जहां यातायात के साधनों तथा महिला शिक्षिकाओं की कमी बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु बाहर जाने के मार्ग में बाधा है वहीं दूसरी ओर बालिका की व्यक्तिगत समस्याएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण बालिकाओं को भी शहरी बालिकाओं की भांति नियमित विद्यार्थी के रूप में महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी प्रयासों के बावजूद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को माता-पिता उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु शहरों में नहीं भेजते। इस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं उच्च शिक्षा से दूर हैं। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार समाज व स्वयं बालिकाएं बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु प्रयास नहीं करेंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। अतः बालिकाओं को उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु बाहर भेजे जाने के लिए माता-पिता परिवार समाज व स्वयं बालिका को शिक्षा का महत्त्व बताते हुए जागरूक करने की महती आवश्यकता है। बालिकाओं को शिक्षित करके ही हम विकसित समाज एवं राष्ट्र के सपने को साकार कर सकते हैं।

## संदर्भ सूची


1. भाटिया, संदीप (2001), "बालिका शिक्षा", पुस्तक प्रतिष्ठान, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली।
2. कुमारी, डॉ. मीना (2020), "बालिका शिक्षा", नव साहित्य सागर दिल्ली।
3. कुमार, डॉ. आदर्श (2011), "बालिका शिक्षा कार्यक्रम", खुशी पब्लिकेशन, गाजियाबाद।
4. यूनेस्को रिपोर्ट (2006), "इंपैक्ट ऑफ़ वीमन टीचर ऑन गर्ल्स एजुकेशन", बैंकॉक एडवोसेसी ब्रीफ यूनेस्को।
5. अग्रवाल, जे.सी. (2001), "भारत में नारी शिक्षा", विद्या विहार पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. गुप्ता, ज्ञान प्रकाश व अन्य (1998), "राजस्थान में छात्राओं द्वारा विद्यालय परित्याग की वस्तुस्थिति एवं कारणों का अध्ययन", राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
7. रस्तोगी, अनीता (1989), "ग्रामीण बालिकाओं की उच्च शिक्षा में बाधक तत्व: एक अध्ययन", भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष – 7, अंक -11।